

प्रपत्र-ए (सार्वजनिक उद्घोषणा)

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

उचित ब्यौरा

1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआईएल)
2.	कार्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	21.03.1983
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट ऋणी की कार्पोरेट आईडेंटीटी नं./ लिमिटेड लाइब्रिटी आईडेंटीफिकेशन नं.	एल51909डीएल1983पीएलसी015418
5.	कार्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालय :- 43बी ओखला इंडिस्ट्रीयल ईस्टेट, ओखला फेस-III नई दिल्ली-110020 व्यवसाय का स्थान :- (ए) 66 उद्योग विहार इंडिस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306 (बी) ए-164, सेक्टर-80, फेस-II डिरिक्ट गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305
6.	कार्पोरेट ऋणी के संबंध में दिवाला आरंभन तिथि	14.11.2017 (एनसीएलटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली वाईड सी.पी. नं. आईबी-378 (पीबी)/2017 दिनांक 14.11.2017 के अनुसार)
7.	इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	13.05.2018 (अर्थात् कार्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के आरंभ की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	देवेन्द्र सिंह विवेक इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनलस प्रा. लि. बेसमेंट, सी-360 डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली-110024. ई-मेल :moserbaerindia ltd.ip@gmail.com पंजी. क्रमांक : IBB/PA-002/IP-N00001/2016-2017/10001
9.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28-11-2017 (अर्थात् माननीय एनसीएलटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली से अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा कार्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया आरंभ की जाने हेतु आदेश की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने 14.11.2017 को मैसर्स एमबीआईएल के विरुद्ध एक कार्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा मैसर्स एमबीआईएल के ऋणदाताओं को आइटम 8 के समक्ष उल्लेखित पते पर अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी के पास दिनांक 28.11.2017 को अथवा उस से पूर्व अपने दावों का साक्ष्य जमा करने का आह्वान किया जाता है।

परिचालन ऋणदाताओं, वित्तीय ऋणदाताओं, कामगारों अथवा कर्मचारियों तथा कामगारों तथा कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि एवम अन्य ऋणदाता (वित्तीय एवं परिचालन ऋणदाता) स्थिति के अनुसार भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 7,8,9 एवं 9ए के मद्देनजर दावा निर्धारित प्रपत्र बी, सी, डी, ई एवं एफ में जमा कर सकते हैं)

वित्तीय ऋणदाता अपने मांगदावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करेंगे। प्रचालन संबंधी लेनदार, जिनमें श्रमिक एवं कर्मचारी सम्मिलित हैं, अपने मांगदावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे का फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंड की भागी होगी।

स्थान: नई दिल्ली,

तिथि: 16.11.2017

हस्ता./-

देवेन्द्र सिंह

अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी